

पत्रावली पेश हुई। आगे भी उपरोक्त कार्य स्थगित कर रहा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/10/20 को पेश है।

ले 9/3/2019 दिनांक विचारित भूमि का क्षेत्रफल 30 हे. प्रकिसाण के हिसाब प्रमाणित हो सके है अतः अप्रकिसाण को विचारित भूमि के रिजर्व डेवलापमेंट अनोथ करके जोमे काकर पाकरु दिया जाना न्यायोचित है। अतः अप्रकिसाण (संख्या) 1 व 2 के अंतर्गत अन्तरिम अस्थाई निवेधाना से पाकरु किया जाता है। अतः विचारित भूमि ख. नं. 1249/415 रकबा 0.85 हे. म्, ख. नं. 448 रकबा 1.80 हे. म्, ख. नं. 397 रकबा 0.32 हे. म् वाले गाम - कैनपुरा वटसील बज्जिन (कीचर की भूमि पर रिजर्व डेवलापमेंट कार्य स्थगित करायेंगे) उम्हल्लय हथि कुधाल, प्रयत्निरासा, कियुल केम्बल अतः पर लपकू नही हया। पत्रावली वाले ताकि अप्रकिसाण दिनांक 20/8/20 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)

20/8/20 पत्रावली पेश हुई। आगे भी उपरोक्त कार्य स्थगित कर रहा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/10/20 को पेश है।

29/10/20 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/10/20 को पेश है।

दोनों आगे
नही चलाना चाही है
ता को खारिज
कर दी जावे

भारत
चन्दा

पक्षपातकार
रिजर्व डेवलापमेंट

26/11/20 पत्रावली प्राधिकरण द्वारा मूल काउंटे प्रिपलतमकी हे आवेडन पर पेश के लगे अतः प्राधिकरण हे आवेडन पर मूल काउंटे खारिज कर दिया जाता है मूल काउंटे खारिज होने पर प्राधिकरण-पत्र लपकू कर कोई कौचित्य नहीं है। अतः प्राधिकरण-पत्र प्राधिकरण की खारिज किया जाता है। पत्रावली के लपकू अन्तर्गत नम्बर संकल है, बाकिल लपकू है। निर्णय कल्ल परे हयासर से कुगाम।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर